



2026:AHC-LKO:16536-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

विशेष अपील दोषपूर्ण सं. - 185/2026

छन्नू लाल

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ
के माध्यम से, और 2 अन्य

..... प्रतिवादी (गण)

पीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : शिशिर प्रधान, हरीश चंद्र

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

2. यह विशेष अपील अपीलकर्ताओं द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत दाखिल की गई है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-ए सं. 4767/2023 (छन्नू लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

05.07.2023 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है। यह अपील दिनांक 11.02.2026 को दाखिल की गई है। कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 11.02.2026 तक इसमें 923 दिनों का विलंब हुआ है। ऐसी अपील दाखिल करने की परिसीमा अवधि इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय IX नियम 10 सपठित परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची में संलग्न अनुच्छेद 117 के अनुसार 30 दिन निर्धारित है।

3. हमने विलंब क्षमादान के लिए दाखिल आवेदन के समर्थन में दिए गए शपथपत्र को देखा है। इसमें केवल अपीलकर्ता की गरीबी का उल्लेख है, यद्यपि, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि वह 1968 से 2022 तक विरोधी पक्षों के अधीन होम गार्ड के रूप में कार्य कर रहा था। संपत्ति और देनदारियों का कोई विवरण नहीं दिया गया है। केवल यह दावा करना कि गरीबी के कारण अपील की सुनवाई नहीं हो सकी, स्वीकार्य नहीं है। जहाँ तक दिए गए अन्य कारणों, जैसे पत्नी की बीमारी का प्रश्न है, उस संबंध में भी न तो कोई विवरण दिया गया है और न ही कोई दस्तावेज़ दाखिल किया गया है। अत्यधिक विलंब को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **शिवम्मा (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड और अन्य 2025 एससीसी आनलाइन 1969, दिनांक 12.09.2025** के हाल के निर्णय के आधार पर इस स्पष्टीकरण की जाँच की जाती है।



4. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें अपील दाखिल करने में हुए इस अत्यधिक विलंब को क्षमा करने का कोई कारण नहीं मिलता। तदनुसार, विलंब को क्षमा करने के लिए दिया गया आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

5. परिणामस्वरूप, अपील भी खारिज की जाती है।

27 फरवरी 2026

अनुज सिंह

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)